

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक-02.03.2023

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर श्री अशोक कुमार द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवाकर अपराधियों को सजा दिलाने हेतु निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक एवं कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप दिनांक 02.03.2023 को माननीय न्यायालय ए.डी.जे.-03/स्पे0 जज (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा थाना अजीमनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-119/2010धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्ध आरोपी सद्दाम पुत्र अफसर निवासी खिजरपुर थाना अजीमनगर, रामपुर को 02 वर्ष के कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।